न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–30/अ–59/2017–18/245 बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत सोनोरा जनपद पंचायत मुलताई द्वारा ग्राम सोनोरा प.ह.नं. 22 तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी धोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2– सरपंच ग्राम पंचायत सोनोरा के उक्त प्रस्ताव के आधार पर पर तहसीलदार मुलताई द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः–

(1)– मौजा सोनोरा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– ग्राम पंचायत सोनोरा द्वारा विक्रेता श्री रामराव, उमराव, शेषराव पिता चेपा भूमरकर से मौजा सोनोरा में स्थित उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 172 रकबा 3.197 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड बैनामे द्वारा क्रय करने के फलस्वरूप मौजा सोनोरा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में सरपंच ग्राम पंचायत सोनोरा के नाम से भूमि हक में दर्ज हुई थी।

(3)– सरपंच ग्राम पंचायत सोनोरा द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश शासन को दान किए जाने के फलस्वरूप, खसरा वर्ष 2017–18 में मौजा सोनोरा स्थित खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि शासकीय दर्ज है।

(4)– तहसीलदार मुलताई द्वारा मौजा सोनोरा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा तहसीलदार मुलताई के मत से सहमत होते खसरा नंबर 172/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है।

4– कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

5– प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार मुलताई /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सोनोरा प.ह.नं. 22 तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 1725/3 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

पृ0क्र0:- 30/अ-59/2017-18/ 245 बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई ।

2- तहसीलदार मुलताई ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5- सचिव ग्राम पंचायत सोनोरा जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.